जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 26 संख्याः 122 प्रभात अजमेर, गुरुवार 2 दिसम्बर, 2021 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

नवम्बर की एक सुबह 20,000 से ज्यादा वैस्टर्न मोनार्क तितलियां यूकलिप्टस की एक शाखा पर बैठी हुई थीं, ऐसा लग रहा था किसी ने वृक्ष को नारंगी रंग की लेस से सजा दिया है। हर साल इस प्रजाति की तितलियों की 30 प्रतिशत आबादी कैलिफोर्निया के पिस्मो बीच पर देखी जाती है। ये तितलियां मीलों लम्बा सफर तय करके यहां सर्दियाँ बिताने आती हैं। मात्र एक साल पहले ये खूबसूरत तितलियां मानो गायब ही हो गई थीं। गत वर्ष पिस्मो बीच पर दो सौ से कम तितलियां ही आईं, जो अब तक की सबसे कम संख्या है। समूचे कैलिफोर्निया तट पर 2000 से कम तितलियां गिनी गईं। लेकिन इस वर्ष वार्षिक गणना शुरु होने से पहले ऐसा लग रहा है कि, कैलिफोर्निया के तट पर इनकी संख्या में भारी वृद्धि देखाई देगी। तितलियों की संख्या हालांकि बढ़ी है, पर शोधकर्ताओं का मत है कि संख्या बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि, यह प्रजाति सुरक्षित है, अभी भी इनकी आबादी सामान्य से कम है। ज़रसीज़ सोसायटी एक संठन है जो परागणकर्ता कीटों और अन्य कीटों के संरक्षण के लिए काम करता है, इसकी कंज़र्वेशन जीववैज्ञानिक एमा पैल्टन ने कहा कि ''एक समय था जब कैलिफोर्निया के तट पर 40 लाख से एक करोड़ तक तितलियाँ आती थीं। नब्बे के दशक तक इनकी आबादी घटत-घटते मात्र दस लाख रह गई और आगामी दशकों में तो आबादी मात्र 2 लाख रह गई। सन् 2017 की वार्षिक गणना में तो मात्र 30,000 तितलियाँ ही आईं। पैल्टन ने कहा कि मोनार्क जुझारु हैं और अनुकूलन करने में सक्षम हैं पर उनके सामने लगातार चुनौतियाँ आ रही हैं। इस वर्ष थोड़ी ही सही, पर आबादी बढ़ी है इसमें अच्छी बात यह है कि अभी देर नहीं हुई है। इन तितलियों को तेज गर्मी, जंगल की आग और सूखे के साथ-साथ कैलिफोर्नियां में तेज बर्फीले तूफानों का भी सामना करना पड़ा है। कुछ तूफान तो इतने तेज थे कि पेड़ उखड़ गए और तितलियां जमीन पर गिर गईं। लंबे समय तक इस प्रजाति का अध्ययन करने वाले, वॉशिंगटन स्टेट युनिवर्सिटी के डेविड जेम्स का कहना है कि स्थानीय लोग, मिल्कवीड जैसे पौधे, जो इन तितलियों को प्रिय हैं, उगाकर और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करके इन तितलियों की मदद कर सकते हैं।

दिल्ली में नहीं मिली इजाज़त अब जयपुर में होगी कांग्रेस की रैली

3 दिसंबर को स्थान तय करने जयपुर आएंगे वेणुगोपाल और माकन

जयपुर, 1 दिसम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का आयोजन 12 दिसंबर को दिल्ली की बजाय जयपुर में होगा। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल की ओर से कांग्रेस को रैली की अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली महारैली को राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिफ्ट कर दिया है। रैली की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिसंबर को जयपुर आएंगे। उसी दिन तय होगा कि जयपुर में यह रैली कहां होगी, क्योंकि जयपुर में एक लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होने के लिए फिलहाल नज़र में कोई स्थान नहीं है। ऐसे में विद्याधर नगर

- **उसी दिन तय होगा कि, जयपुर में यह रैली कहां होगी। क्योंकि जयपुर में एक लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होने के लिए कोई स्थान नहीं है।**
- **ऐसे में विद्याधर नगर या किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस रैली का आयोजन कराया जा सकता है।**

या किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस रैली का आयोजन कराया जा सकता है।

रैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। महंगाई हटाओ रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे। अतः रैली करवाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी को जयपुर में बड़ी स्थान की आवश्यकता होगी। रैली के लिए जयपुर में प्रस्तावित जगहों में जयपुर के विद्याधर नगर, मानसरोवर या फिर चौमू हो सकते हैं। हालांकि मानसरोवर में आवासन मंडल की ओर से पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अब प्रस्तावित स्थानों में विद्याधर नगर या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है। अभी जगह को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन रैली में शामिल होने के लिए देशभर से कांग्रेस के करीब 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर आ सकते हैं। महारैली को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। स्थान तलाश करने का काम आज से ही शुरू हो गया है और 3

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुआवज़ा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर वर्ष भर चले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरे किसानों के परिवारों को किसी प्रकार के मुआवजे के भुगतान से बुधवार को पल्ला झाड़ लिया। भुगतान को लेकर उनका कहना था कि केन्द्र

- **केन्द्रीय कृषि मंत्री तोमर ने संसद में कहा कि, किसानों के धरने के दौरान मरने वाले आंदोलनकारियों की न तो कोई अधिकृत सूची है, और न ही मृत्यु के कारणों का विवरण, अतः मुआवज़ा किस आधार पर दिया जा सकता है।**

सरकार के पास उक्त किसानों की मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन तीनों कानूनों को गत सोमवार ही निरस्त किया गया था।

तोमर, कांग्रेस के मनीष तिवारी द्वारा किसानों की मौत को लेकर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। तिवारी ने यह भी पूछा कि क्या सरकार उनके परिजनों को मुआवजा राशि देने की मंशा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने सैन्ट्रल विस्टा प्रोजैक्ट का काम जारी रखने के पक्ष में तर्क दिये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। केन्द्र ने सैन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को जारी रखने को बुधवार को उचित ठहराया तथा एक शपथ-पत्र में सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि इसका निर्माण इसलिये नहीं रोका गया था क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है।

दिल्ली के प्रदूषण पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली बैंच ने सोमवार को केन्द्र से कहा था कि वह इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दे कि सैन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम पूरे जोर-शोर से क्यों और कैसे चल रहा है, जबकि इस अदालत ने अपने 24 नवम्बर के आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर फिर से रोक लगा दी थी। इस बैंच में दो अन्य जज हैं- न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड तथा सूर्यकान्त। बैंच दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे द्वारा दायर की गई उस याचिका की सुनवाई कर रही है, जो दिल्ली तथा उससे जुड़े क्षेत्रों में हो रहे वायु-प्रदूषण से सम्बन्धित हैं।

केन्द्र ने दावा किया है कि सैन्ट्रल विस्टा के निर्माण कार्य के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कोई वायु-प्रदूषण नहीं हो रहा है क्योंकि प्रौजेक्ट 'कन्स्ट्रक्शन एंड डिमॉलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स' की अनुपालना कर रहा है। शपथ-पत्र में कहा गया है कि सैन्ट्रल विस्टा रिडवलपमेंट, जो ''राष्ट्रीय महत्व'' का प्रोजेक्ट है, के अलावा, दिल्ली में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चलाई जा रही निर्माण-सम्बन्धी सभी गतिविधियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, वायु-प्रदूषण पर काबू जाने के उद्देश्य से, दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रोक दी गई हैं।

नैशनल कैपिटल रीजन (एन.सी. आर.) में बदतर होती जा रही वायु की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने 24 नवम्बर को एन.सी.आर. में निर्माण कार्यों पर दोबारा रोक लगा दी थी। केन्द्र सरकार का सन्दर्भित जवाब उस समय आया है,

- **सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रोजैक्ट जारी रखने का कारण यह बताया कि, यह प्रोजैक्ट राष्ट्रीय महत्व का काम है तथा प्रोजैक्ट को जारी रखते समय वे सभी ''प्रिकॉशन्स'' की सख्ती से पालना की गयी, तथा सभी हिदायतें बरती गयीं, जो प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिये लागू की गयी हैं।**

जब शीर्ष अदालत ने 29 नवम्बर को केन्द्र तथा राज्य सरकारों से कहा था कि वे, प्रदूषण पर काबू पाने के लिये दिये गये निर्देशों की अनुपालना से सम्बन्धित रिपोर्ट पेश करें। दिल्ली के छात्र आदित्य दुबे की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जोर देकर कहा कि जब निर्माण सम्बन्धी सारे काम रोक दिये गये हैं, उस समय भी, राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच सैन्ट्रल विस्टा रिडवलपमेंट बेरोक-टोक जारी है।

लेकिन, केन्द्र ने बुधवार को पेश किये गये शपथ-पत्र के जरिये, इसका जवाब देते हुये कहा है कि सरकार सैन्ट्रल विस्टा रिडवलपमेंट के लिये, प्रदूषण ने होने देने वाले सारे उपाय काम में ले रही है, जैसे-ऐन्टी-स्मॉग गन्स, मिस्ट-स्प्रे सिस्टम, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे डस्ट सप्रैसेन्ट्स का उपयोग, निर्माण-सामग्री इधर-उधर लाने-ले जाने के लिये कन्वेयर बैल्ट्स का उपयोग तथा पूरी निर्माण-सामग्री को नमीयुक्त स्थिति में रखना आदि।

शपथ पत्र में कहा गया है कि अगर बैंच चाहे तो केन्द्र सरकार सैन्ट्रल विस्टा स्थल पर काम में लिये जा रहे प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये भी तैयार है।

जयपुर के ज्वैलर ग्रुप के 50 ठिकानों पर इन्कम टैक्स के छापे

पांच सौ करोड़ रुपये की अघोषित आय के सबूत मिले?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। आयकर विभाग ने जूलरी और रंगीन रत्नों का निर्माण एवं निर्यात करने वाले जयपुर के एक ग्रुप पर हफ्ते भर तक छापेमारी कर 500 करोड़ रुपयों से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। ग्रुप के जयपुर एवं आसपास स्थित 50 से अधिक परिसरों में जांच पड़ताल की गई।

ग्रुप के स्वामियों ने 72 करोड़ रुपयों की अघोषित आय स्वीकार की है। इस जब्ती में 9 करोड़ के आभूषण और 4 करोड़ की नकदी शामिल है। यह ग्रुप सैमी प्रैशस और प्रैशस रत्नों की रफ अफ्रीकी देशों से आयात कर उन्हें जयपुर में तैयार करवाता रहा है। कट व पॉलिश्ड स्टोन्स से अर्जित आय को छिपाया गया और इसके कुछ हिस्से को खाता बहियों में दर्ज किए बिना नकद बेचकर बेहिसाब आय अर्जित की गई।

इस बेहिसाब आय का उपयोग एक फायनैंस ब्रोकर के जरिए नकद ऋण उपलब्ध करवाकर ब्याज कमाने में किया गया। जांच टीम ने नकद ऋणों और अर्जित ब्याज के डिजीटल और दस्तावेजी साक्ष्य बरामद किए। ब्रोकर ने इस तरह के लेन देन होना स्वीकार किया है।

बेहिसाब क्रय एवं विक्रय स्टॉक में अन्तर, अवास्तविक असुरक्षित ऋण और शेयर एप्लीकेशन मनी संबंधी आपत्तिजनक साक्ष्य भी पाए गए हैं।

इसके अलावा ग्रुप की स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एस.ई.जैड) में संचालित इकाईयों के भी दस्तावेज मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि ग्रुप इन इकाइयों से ऊंचे लाभ की घोषणा कर अनुचित कार्यों में लगा था, क्योंकि इन इकाइयों से प्राप्त आय, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त है।

- **यह ग्रुप अफ्रीकी देशों से सैमी प्रैशस व प्रैशस माल मंगाता था, तथा जयपुर में ''प्रोसैसिंग'' कराकर विदेश को निर्यात किया करता था।**
- **आयकर विभाग का मानना है कि, प्रोसैस्ड माल, बिना बिल के, नकद रकम लेकर बेचा जाता था। इस अघोषित बिक्री से हुई आय को यह ग्रुप ब्याज पर लगा देता था, नम्बर दो के मार्केट में।**
- **ग्रुप ने 72 करोड़ रुपये की अघोषित आय होने की बात तो कबूल कर ली है, तथा छापे के दौरान आयकर विभाग को नौ करोड़ रुपये की ज्वैलरी व 4 करोड़ रुपये नकद भी मिला।**

कंगना रनौत की टिप्पणियाँ सैंसर हों?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके, अदालत से अनुरोध किया है कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानौत द्वारा भविष्य में की जाने वाली सभी सोशल मीडिया पोस्टों को सैंसर किये जाने के निर्देश जारी करे ताकि भारत में कानून-व्यवस्था सम्बंधी समस्याएं रोकी जा सकें।

एडवोकेट सरदार चरणजीत सिंह चन्दरपाल ने कंगना के इन्स्टाग्राम की पोस्ट का हवाला दिया है कि ''सिख किसान जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उन्होंने 1984 के सिखों के नरसंहार को सही ठहराया है इस टिप्पणी को एक तरह से यह दावा किया गया है कि सिखों को अवांछित मच्छरों की तरह निम्न जाति के रुप माना जाना चाहिए तथा उन्हें इंदिरा गांधी जैसे गुरु की जरुरत है।''

उन्होंने कहा कि ऐसे बयान विभिन्न धर्मों में नस्ल के आधार पर भेदभाव और नफरत पैदा करते हैं। इससे सोशल मीडिया पर

- **सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि, कंगना रनौत की सोशल मीडिया पर डाली गयी टिप्पणियाँ, बहुत आपत्तिजनक, भड़काऊ होती हैं, अतः उन पर सैंसर लागू होना चाहिए, नहीं तो, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।**

भड़काने वाली, उत्तेजना पूर्ण बहस छिड़ सकती है, यहां तक कि दंगे भी हो सकते हैं। याचिका कहती है कि, ये टिप्पणियां ना केवल घ्रणा फैलाने वाली एवं ईशनिंदा के बराबर है बल्कि इनका इरादा साम्प्रदायिक फसाद करवाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है, ये बेहद अपमानजनक है तथा सिखों को राष्ट्रविरोधी रुप में दर्शाती है। यह निर्दोष सिखों की हत्या को उचित ठहराती हैं। ये टिप्पणियां हमारे देश की एकता के एकदम खिलाफ हैं और अभिनेत्रों को इसके लिए कानून के अनुसार गंभीर दंड दिया जाना चाहिए। इन्हें दरकिार नहीं किया जा सकता है।

क्या ऑमक्रॉन से प्रेरित होकर यात्राओं/फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाना उचित है?

यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने से कोई खास लाभ नहीं है, बल्कि कई देश इस वायरस के बारे में सही जानकारी शेयर करने से कतरायेंगे, और इस वायरस के बारे में रिसर्च करने में अनावश्यक विलम्ब होगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। ऑमक्रॉन का प्रकोप और फैलाव एक उम्मीद के मुताबित प्रतिक्रिया सामने लाया है क्योंकि विश्वभर के देशों में यात्रा पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू करने की होड़ मची हुई है। वास्तव में जबसे वायरस के नए स्ट्रेन का पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका से पता चला, विश्व के दर्जनों देशों ने इसकी प्रतिक्रिया यात्रा प्रतिबंधों के रूप में दी है, जिनमें अधिकांशतः दक्षिण अफ्रीका देशों को निशाना बनाया गया है।

लेकिन कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन के प्रति क्या ऐसी अविचारित प्रतिक्रिया न्यायोचित है, यह वह प्रश्न है जिस पर देशों की सरकारों को जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि नए स्ट्रेन के अभी शुरूआती दिन ही हैं और इसको लेकर प्रमाणिक रूप से कुछ भी सिद्ध नहीं किया गया है कि नया वायरस आखिरकार लोगों को किस तरीके से प्रभावित करेगा।

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने यह चेतावनी देने में तत्परता बरती कि पूर्ण यात्रा प्रतिबंध ऑमक्रॉन के प्रसार को नहीं रोक सकेंगे। ए.एफ.पी. की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य इकाई ने यदि कुछ चेतावनी दी है तो वह यह कि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्धों से कुछ अच्छा होने के बजाए नुकसान का जोखिम अधिक है।

डब्ल्यू.एच.ओ. ने एक यात्रा परामर्श में चेतावनी दी कि प्रतिबंधों की वजह से देश इस नए वायरस के डेटा शेयर करने से अन्ततः दूर रहेंगे।

लेकिन उसने यह सलाह भी दी कि 60 की उम्र से अधिक के लोगों सहित वैक्सीन नहीं लगवा चुके लोग, जिन्हें कोविड-19 होने का जोखिम है, को वायरस के जन संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा से परहेज करना चाहिए।

डब्ल्यू.एच.ओ. प्रमुख टेड्रो एडनॉम धेब्रेयसस ने कहा कि उन देशों की बात भी जायज है जो एक ऐसे वेरियन्ट के प्रति अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते है, जिसके बारे में हम अब तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं लेकिन उन्होंने देशों से जोखिम कम करने के तर्क संगत एवं यथानुपात उपाय करने का अनुरोध करते हुए मांग की कि वैश्विक प्रतिक्रिया ''शांत, समन्वित और सुसंगत हो।'' यात्रा के विस्तृत प्रतिबंधों की निरर्थकता तब रेखांकित हुई जब नीदरलैण्ड्स की सरकार ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका ने 25 नवम्बर को ऑमक्रॉन के पहले केस की पुष्टि की थी, लेकिन उनके देश में यह वेरियन्ट उससे पहले मौजूद था।

डच हैल्थ अथॉरिटीज़ ने मंगलवार को कहा कि इस वायरस को साथ लायी दो फ्लाइट्स के आने से पहले नीदरलैण्ड्स में ऑमक्रॉन उससे पहले से था। नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ (आर.आई.वी.एम.) ने कहा कि 19 और 23 नवम्बर को लिए गए दो टैस्ट सैम्पल्स में हमें ऑमक्रॉन करोना वायरस वेरिएन्ट का पता चला। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी?

- **यह सच नहीं है कि, दक्षिण अफ्रीका से आये लोगों के माध्यम से ही यह वायरस फैलता है, क्योंकि उदाहरण के लिये, हालैण्ड में ऑमक्रॉन से संक्रमित मरीज मौजूद थे, द. अफ्रीका से पहली फ्लाइट आने के पहले से।**

इधर स्वदेश में बहस इस बात को लेकर चल रही है कि ऑमक्रॉन वेरिएन्ट के प्रति कोविशील्ड कितनी कारगर है। सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया के सी.ई.ओ. अदार पूनावाला के अनुसार ऑमक्रॉन के विरुद्ध कोविशील्ड की प्रभावोत्पादकता का पता अगले दो-तीन हफ्तों में चल जाएगा। पूनावाला ने एन.डी.टी.वी. को बताया कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि क्या ऑमक्रॉन अधिक खतरनाक है अथवा नहीं। फिर भी ऑमक्रॉन का ख्याल रखते हुए एक बूस्टर डोज़ संभव है।

पूनावाला की टिप्पणी ''द लांसैट'' के एक अध्ययन के बाद सामने आई, जिसमें कहा गया था कि कोविशील्ड डेल्टा वेरिएन्ट के दौरान भी वायरस का मुकाबला करने में कोविशील्ड काफी कारगर रही थी और इसने मरने व अस्पताल में भीर्ती होने का जोखिम महत्वपूर्ण रूप से कम किया था। उन्होंने कहा कि ऑमक्रॉन के प्रति कोविशील्ड के प्रभावी होने को लेकर अध्ययन भी चल रहे हैं तथा हमें इसके लिए कुछ हफ्तों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर हम एक ऐसी नई वैक्सीन बना सकते हैं, जिसे आगामी छह महीनों में बूस्टर डोज़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

तथापि, ऑमक्रॉन वैरिएन्ट के बारे में अभी काफी कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए वह निर्धारित करने में कई सप्ताह लग सकते है कि इससे वैक्सीन से किस हद तक बचा जा सकता है, फिर भी इसने यह जता दिया है कि कोविड-19 के विरुद्ध वैश्विक अभी समाप्त नहीं हुई है।

मीडिया पर लगायी गई पाबंदियां!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन के सभापति को पत्र में इस बात पर ''गहरा दुख'' व्यक्त किया है कि लगातार पाँचवे सत्र में संसद की कार्यवाही की कवरेज के मामले में मीडिया का मुँह अप्रत्यक्ष रुप से बंद कर रखा है। खड़गे द्वारा मंगलवार को राज्यसभा के सभापति एम. वैंकेय्या नायडू के सौंपे गये इस पत्र में कहा गया है, ''मीडिया प्रतिष्ठानों के केवल मुट्ठी-

- **राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर, मीडिया पर संसद की कार्यवाही रिपोर्ट करने में बाधा बन रही पाबन्दियों को हटाने की पुरजोर मांग की।**

भर प्रतिनिधियों को ही प्रैस-गैलरी में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, सैन्ट्रल हॉल में वरिष्ठ पत्रकारों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया है तथा पत्रकारों को संसद भवन के अहाते में सांसदों के साथ बात करने की अनुमति नहीं है।''

उन्होंने कहा कि अनेक नये ऐसे प्रतिबंध एवं पाबंदियाँ मनमाने तरीके से लगा दी गई हैं, जिनके चलते मीडिया लोकतंत्र के इस मंदिर से पूरी तरह बहिष्कृत हो गया है।

उन्होंने कहा कि संसद देश की राजनैतिक गतिविधियों के तंत्र का केन्द्र हुआ करती है तथा मीडिया ने सदैव ही अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि सदन के पटल पर उठाये जा रहे ज्वलंत सार्वजनिक मुद्दों के बारे में आम जनता को पूरी जानकारी मिलती रहे। खड़गे ने कहा कि बहुत से वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रैस के प्रतिष्ठान, वरिष्ठ सांसदों तथा लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। खड़गे ने सभापति से अनुरोध किया कि वे इस समस्या का समाधान करें, जिससे मीडिया पहले की तरह बिना किन्हीं पाबंदियों के अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहे।